न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 48/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचरण जाति धाकड उम्र 35 वर्ष दूधिया स्थान राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नेकपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर निवासी नगला खुशहालीराम पोस्ट बीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. प्रार्थी (सायल)

2. गैरसायल उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 19.01.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 03.10.2018 को प्रस्तुत किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 08.12.2020 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 19.01.2021 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 19.07.2018 को प्रातः 08.30 बजे गैरसायल दूधिया का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दूधिया पर बच्चों को मिड–डे मिल योजना के अन्तर्गत विक्रय के इस्तेमाल के लिये स्टील के भगोना में लगभग 22 लीटर टोड मिल्क था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 लीटर मिश्रित दूध 70/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–464/एक्ट/2018/483 दिनांक 03.08.2018 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित दूध का मिड–डे मिल योजनान्तर्गत बच्चो के लिये आपूर्ति कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से दूधियों से दूध लेकर मिड–डे मिल योजनान्तर्गत बच्चो को करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का बच्चो के लिये आपूर्ति करेगा। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 19.07.2018 को गैरसायल दूधिया से मिड–डे मिल योजनान्तर्गत भगोने में संग्रहित 22 लीटर मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.08.2018 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा दूधियों से दूध लेकर मिड–डे मिल योजनान्तर्गत बच्चों के लिये आपूर्ति

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का बच्चो के लिये आपूर्ति किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य मे इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)